POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.08.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन तलाश' के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों को बैंक खाता, डेबिट कार्ड, प्री-एक्टिवेटड सिम आदि उपलब्ध कराने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 08 सिम कार्ड, 07 डेबिट कार्ड आदि बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.08.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से बैंक खाता, डेबिट कार्ड, प्री-एक्टिवेटड सिम आदि उपलब्ध कराने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्त 1. चनप्रीत सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह 2. रणवीर सिंह पुत्र रमन सिंह 3. जगमोहन धाकड पुत्र कमल सिंह 4. नवीन पुत्र सुनील रेंकवार 5. आदित्य शर्मा पुत्र राज शर्मा को थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत घण्टा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 08 सिम कार्ड, 07 डेबिट कार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड व 01 चैकबुक बरामद की गई।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण--

उक्त अभियुक्तगण एक संगठित साइबर अपराधी गिरोह से जुड़े हैं, जो भारतीय नागरिकों को फर्जी गेमिंग, ट्रेडिंग एप्स के माध्यम व 'डिजिटल अरेस्ट' करके उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उनके रूपयों की ठगी करके बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेते है। अभियुक्तगण, बैंक खाता धारकों को 01 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर उनसे उनके बैंक खाते की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर बैंक खाते में पंजीकृत सिम कार्ड का 'रिमोट एक्सेस' ऐप के माध्यम से साइबर अपराधियों को देकर प्रति खाता 15,000 रुपये कमाते है। साइबर अपराधियों द्वारा इन खातों का प्रयोग करके साइबर अपराध के पीड़ितों से धोखाधड़ी कर धनराशि ट्रांसफर कराई जाती है, जिसे बाद में कई अन्य खातों में या क्रिप्टो करेंसी (USDT) के माध्यम से ट्रांसफर कर लिया जाता है। इस प्रकार अवैध धन अर्जित कर आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. चनप्रीत सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह निवासी रूची लाईफ स्कैप्स, जाटखेडी, भोपाल (म0प्र0), उम्र 25 वर्ष, शिक्षा- बी.कॉम.।

2. रणवीर सिंह पुत्र रमन सिंह निवासी इंडस टाउन रोपल विलास मिसरोध, भोपाल (म0प्र0), उम्र 22 वर्ष, शिक्षा- बी.बी.ए. ।
3. जगमोहन धाकड़ पुत्र कमल सिंह निवासी हिमली, थाना शमसाबाद, विदिशा (म0प्र0), उम्र 19 वर्ष, शिक्षा- 11वीं पास।
4. नवीन पुत्र सुनील रेंकवार निवासी शमसाबाद, थाना शमसाबाद, विदिशा (म0प्र0), उम्र 19 वर्ष, शिक्षा- बी.ए. प्रथम वर्ष।
5. आदित्य शर्मा पुत्र राज शर्मा निवासी ग्राम नाहरपुर, सेक्टर-07 रोहिणी, नार्थ वेस्ट दिल्ली वर्तमान पता कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र 21 वर्ष, शिक्षा-10 वीं पास।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 451/2025 धारा 318/338/336/340/61(2)/3(5) बीएनएस व धारा 66-डी आईटी एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन
2. 08 सिम कार्ड
3. 07 डेबिट कार्ड
4. 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड व 01 चैकबुक।

नोट- डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

2. थाना फेस -1 पुलिस द्वारा कम्पनी से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 02 मोटर, 01 फोल्डेबल सीढ़ी, 3500 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.08.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कम्पनी से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. गुड्डू पुत्र मो0 इब्राहिम 2. राहुल उर्फ छोटू पुत्र अजीत सिंह को झुण्डपुरा बॉर्डर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 02 मोटर, 01 फोल्डेबल सीढ़ी, चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त 3500 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व 01-01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा दिन के समय कम्पनियों मे रैकी कर रात में चोरी की घटना कारित की जाती थी। अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए सामान को थोड़ा थोड़ा करके राह चलते कबाड़ी वाले को बेच कर धन प्राप्त किया जाता था। बरामद सामान को अभियुक्तों द्वारा कम्पनी सी-43 सेक्टर-10 नोएडा से चोरी किया गया था, जिसके संबंध में थाना फेस-1 पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. गुड्डू पुत्र मो0 इब्राहिम निवासी नया बाँस, सेक्टर-16 नोएडा, उम्र 20 वर्ष।
2. राहुल उर्फ छोटू पुत्र अजीत सिंह निवासी जे0जे0 कालोनी, सेक्टर-08 नोएडा, उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0-315/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की गई 02 मोटर।
2. 01 फोल्डेबल सीढ़ी।
3. चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त 3500 रुपये नगद।
4. घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा।
5. 02 अवैध चाकू।